



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसायटी , राष्ट्रीय आयुष मिशन
संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष)
इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक-1, अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़



दूरभाष क्रमांक 0771-4052949 ई-मेल: cgnamoffice@gmail.com

क / 07 / 02 / राआमि / 2024-25 / 456

17 JAN 2025

दिनांक

क्र०	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	एकमुश्त सविदा मानदेय (प्रतिमाह)	कुल पद संख्या	पदों का विभाजन			दिव्यांग	
					अनारक्षित	अनु जनजाति	अपि.व		
1	एम0पी0 डब्ल्यू (आयुष-आयुर्वेद)- सविदा	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पंचकर्म में न्यूनतम एक वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण। अथवा किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद कम्पाउण्डर प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण अथवा डी.फार्मा आयुर्वेद उत्तीर्ण। (3) छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद् अधिनियम 2001 के अधीन पंजीकृत। टीप:- पंचकर्म में न्यूनतम 01 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण अथवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयुर्वेद कम्पाउण्डर प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण अथवा डी.फार्मा आयुर्वेद उत्तीर्ण को लिया जावेगा।	15000/-	123	52 (15माहि.)	39 (11माहि.)	17 (05माहि.)	15 (04माहि.)	09 (BL,OL)
2	एम0पी0 डब्ल्यू (आयुष-होम्योपैथी)-सविदा	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथी कम्पाउण्डर प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण। (3) छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद् अधिनियम 2001 के अधीन पंजीकृत।	15000/-	24	10 (03माहि.)	08 (02माहि.)	03 (0माहि.)	03 (0माहि.)	02 (BL,OL)

क्रमशः.....

क्र०	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	एकमुश्त संविदा मानदेय (प्रतिमाह)	कुल पद संख्या	पदों का विभाजन				दिव्यांग
					अनारक्षित	अनु जनजाति	अपि.व	अनु जाति	
3	एमपी० डब्ल्यू (आयुष-यूनानी)- सविदा	(1) किसी मान्यता प्राप्त मॉडल/ विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी कम्पाउण्डर प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण। (3) छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद् अधिनियम 2001 के अधीन पंजीकृत।	15000/-	9	04 (01महि.)	03 (0महि.)	01 (0महि.)	01 (0महि.)	01 (BL,OL)
4	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता- सविदा	(1) हाईस्कूल/हायर सेकंडरी एवं शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का न्यूनतम 01 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त। (2) छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद् अधिनियम 2001 के अधीन पंजीकृत।	15000/-	19	08	06	03	02	

टीप:- विज्ञापित पद हेतु संबंधित पद्वति के पात्र अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में अन्य पद्वति के उपलब्ध अभ्यर्थियों से पद पूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।


सदस्य-सचिव

कार्यकारी समिति

राज्य आयुष सोसायसटी एवं
संचालक आयुष (छत्तीसगढ़)